श्री एन.के. यादव

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | 965/2017 रघुवीर / रामस्वरूप<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 06.11.17 | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि में सह खातेदार है जिन्हे सुनवाई किये बिना ही उनकी हक अधिकार की आराजी के सम्बन्ध मे पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यो से सन्तुष्ट होते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24/10/2017 की क्रियान्विति अपीलार्थीस की हद तक स्थगित की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का एक माह की अवधि मे गुणावगुण पर निस्तारण करे। पत्रावली मे अब कोई कार्यवाही शेष नही होने से पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।<br>(हस्ताक्षर)<br>राजस्व अंपील प्राधिकारी<br>जयपुर | 225 |